फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री दल्ला | **विपक्षी : श्री वरदा**

किस्म मुकदमा —विविध आ.9 नि.9 | **पत्रावली संख्या : 12/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 25.02.2022 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 1, 3, 19 स्वयं उपस्थित, शेष अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। मूल पत्रावली संख्या 312/11 वाद का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 05.3.2021 को वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर वाद अदम हाजरी में खारिज किया गया। अधिवक्ता द्वारा दिनांक 05.01.2022 को मूल प्रकरण को नम्बर पर लिया जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 के तहत प्रस्तुत किया गया है। चूंकि प्रकरण में प्रार्थी/वादी का हित निहीत होने से वादी को सुना जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रतिवादीगण द्वारा भी प्रार्थना पत्र पर कोई विशेष आपत्ति जाहिर नहीं की। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कोस्ट पर स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित है। **—: आदेश :—** परिणामस्वरूप वाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. का 500/— पॉच सौ रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्र.स. 312/11 वाद दल्ला बनाम वरदा में आदेश दिनांक 05.3.2021 को अपास्त किया जाता है तथा मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता उक्त कोस्ट की राशि 500/— पॉच सौ रूपया राजकोष मे जरिये चालान जमा करा चालान की प्रति पत्रावली में पेश करे। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया। **(श्रवणसिंह राठौड)** **सहायक कलक्टर** **(SDO)मावली** Signature Not Verified Digitally signed by Shravan Singh Rathore Date: 2022.03.14 17:40:21 IST Reason: SelfAttested	